न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 112/2014

उनवान

1. सांवरलाल पुत्र गंगाराम,
2. लक्ष्मण पुत्र किशनलाल, जाति जाट नि. मावशिया, नसीराबाद
—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राधेश्याम,
2. सीताराम पि. रामरतन, जाति वैष्णव नि. मावशिया, नसीराबाद,
3. रामेश्वर पुत्र रामनारायण, जाति सादू नि. ग्राम मावशिया, नसीराबाद,
4. मैनेजर आई.सी.आई.सी. आई. बैंक नसीराबाद,
5. उप पंजीयक, नसीराबाद,
6. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री [illegible]
4 अनुपस्थित, 5 व 6 जरियें राज0 [illegible]

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :– [illegible]

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मावशिया में स्थित आराजी मुतनाजा वादीगण की कयशुदा है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है :–

हाल जमाबंदी		वर्किंग जमाबंदी	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
431	4.03	1447/1872	25–0–0

वर्किंग खसरा नम्बर 1447/1872 रकबा 25–0–0 के मूल खातेदार वर्किंग जमाबंदी में रामरतन, रामेश्वर पि0 रामनारायण जाति सादू के नाम दर्ज हैं। रामरतन पुत्र रामनारायण द्वारा अपना 1/2 हिस्सा का विक्रय दिनांक 31.12.82 को केतागण लक्ष्मण पुत्र किशनलाल व सांवरलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट को बेचान कर मौके पर कब्जा व दखल सौंप दिया था। तब से वादीगण का कब्जा उक्त आराजी पर चला आ रहा है। उक्त पंजीकृत विकय पत्र की पालना में हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 4.03 का अधिकार अभिलेख में वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा अमल दरामद करने के बजाय गैर कानूनी रूप से विकेता के वारिस प्रतिवादी संख 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है अतः आराजी मुतनाजा

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
[illegible] अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण की पुश्तैनी है जिसका बैचान जवाबकर्ता के पिता द्वारा कभी नही किया गया है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण कबिज है व उसके द्वारा उक्त आराजी पर बैंक से ऋण लिया है तथा भूमि बैंक के नाम रहन है। वादीगण ने आराजी मुतनाजा हडपने की नियम से उक्त आराजी पर वाद पेश किया है अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक कयशुदा है ?
—— वादीगण
2. आया आराजी मुतनजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्ती योग्य है ?
—— वादी
3. आया वादग्रस्त आराजी रहन होने व प्रतिवादीगण के नाम होने से वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादीगण
4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रदर्श पी01 से प्रदर्श पी0 5 राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा वादी लक्ष्मण पुत्र किशनलाल तथा गवाह भागचन्द पि0 गोपीदास के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किय।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा पर बैंक ऋण की राशि उनके पक्षकार द्वारा अदा कर दी जायेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम मावशिया के वंर्किग खसरा नम्बर 1447/1872 रकबा 25–0–0 पर नामान्तकरण संख्यॉ 453 दिनांक 24.12.88 आदेश संख्या 6 दिनांक 23.12.1970 के अनुसार के वंर्किग जमाबंदी में रामरतन, रामेश्वर पि0 रामनारायण जाति सादू के नाम आबंटन दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 8 दिनांक 13.06.89 द्वारा उक्त आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी। उक्त आराजी में रामरतन पुत्र रामनारायण द्वारा अपना 1/2 हिस्सा का विकय दिनांक 31.12.82 को क्रेतागण लक्ष्मण पुत्र किशनलाल व सांवरलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट को बेचान कर मौके पर कब्जा व दखल सौप दिया था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त ही बताते है। प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी के विकय को फर्जी सिद्व करने हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विकय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। अतः आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक कयशुदा है तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

——3

प्रमाणित प्रतिलिपी

हस्ताक्षर
तैयार कुनिन्दा

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक कयशुदा है। 1447/1872 रकबा 25–0–0 पर नामान्तकरण संख्या 453 दिनांक 24.12.88 आदेश संख्या 6 दिनांक 23.12.1970 के अनुसार के वंर्किग जमाबंदी में रामरतन, रामेश्वर पि० रामनारायण जाति सादू के नाम आवंटन दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 8 दिनांक 13.06.89 द्वारा उक्त आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी। उक्त आराजी में रामरतन पुत्र रामनारायण द्वारा अपना 1/2 हिस्सा का विकय दिनांक 31.12.82 को केतागण लक्षण पुत्र किशनलाल व सांवरलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट को बेचान कर मौके पर कब्जा व दखल सौप दिया था। विकय पत्र की दिनांक 31.12.82 है जिसके अनुसार विकय दिनांक को उक्त आराजी विकेता की खातेदारी में नही थी। किन्तु बाद में विकेता को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रापत हो गये थे। आज दिनांक को उक्त आराज विकेता के पुत्र के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय की है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार "जहां कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रव्यंजना करता है वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि आराजी मुतनाजा पर विकेता को बाद में भी खातेदारी प्राप्त होते है तो उसके द्वारा किया गया विकय वैध है। तथा वादीगण वर्तमान त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विकय पत्र के विरूद्व सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही नही की है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता की विधिक कयशुदा है। पूर्व तनकी के विवेचन अनुसार वादीगण हाल इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्त आराजी बैंक के नाम रहन होने से वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा उक्त आराजी पूर्व में ही विकय कर दी थी। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजी पर ऋण लेने का अधिकार नही है। वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि खसरा नम्बर 431 की आराजी पर ऋण की राशि उसके द्वारा सबंधित बैंक को अदा कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में जब वादीगण उसके पिता द्वारा कय की गयी आराजी हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 40.03 पर बकाया ऋण चुकाने हेतु सहमत है तो बैंक के हित पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अतः तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 4.03 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" क्रिया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण द्वारा उक्त आराजी संबधित बैंक से रहन मुक्त करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपी

तैयार कुनिन्दा

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इत्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सावंरलाल वनाम राधेश्याम

दावा बावत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 112/2014
पेश करने की दिनांक – 07.07.2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई हीरालाल माली व राज0 पैरोकार अभिभाषक गिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 4.03 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण द्वारा उक्त आराजी संबधित बैंक से रहन मुक्त करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

दस्तखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 09 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सवूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	वावत् इजराय हुक्मनामा
वावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

हस्ताक्षर
तैयार कुनिन्दा

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय
नसीराबाद

Scanned by CamScanner